order Sheet [Contd]

Te of Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of presiding Uरिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्रीसुनील सेहरा		90\PU 52,	/ ।।।५५५।
सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्रीसुनील सेहरासित उनके अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तवउप0। आरोपी / गण सिहत / द्वारा अधि0 स्वयंआरोपीउप0 / आरोपी अनुपस्थित। प्रकरण स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है। उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिहत एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
जावे। सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल / मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपी का अगर जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो। प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। एस0डी0 डी0सी0थपलियाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0–19 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड	28-1-17	सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्रीसुनील सेहरा	

पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0–1 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड	